



मास्टर परिपत्र – सेवानिवृत्ति सलाहकारों को मार्गदर्शन

Master Circular – Guidance to Retirement Advisers

- Hindi Version (हिंदी संस्करण)
 - English Version



MASTER CIRCULAR

PFRDA/Master Circular/2024/06/RA-01

Date: 27th November 2024

To

All Stakeholders in the National Pension System

Madam/Sir,

Master Circular - Guidance to Retirement Advisers

- 1. This circular is issued in the exercise of powers conferred under *sub-section (1) of Section 14* read with sub-section (2) clause (c) and (m) of Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and Chapter II and III of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 (as amended) ("hereinafter referred as PFRDA (RA) Regulations, 2016").
- 2. This master circular consolidates the existing instructions on the subject of "<u>Guidance to Retirement Advisers</u>". The list of underlying circulars consolidated in this Master Circular is furnished in Part V.

This circular is issued with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

ASHISH Digitally signed by ASHISH KUMAR BHARATI

(Ashish Kumar Bharati) General Manager



INDEX		
PART I	Introduction	
PART II	General Guidelines	
PART III	Guidance to Retirement Advisers	
PART IV	Annexures	
PART V	List of circulars consolidated in the Master Circular (with hyperlink)	



PART I- INTRODUCTION

- 1. Retirement Adviser means any person being an individual or non-individual, who for consideration, is engaged in the activity of providing retirement advice on the National Pension System (NPS) or any other pension scheme covered under the PFRDA Act, 2013 to prospects or subscribers or other persons or group of persons and includes any person who holds out himself as a Retirement Adviser, by whatever name called.
- 2. Retirement advice means activity relating to onboarding of prospects, advice on pension fund selection, investment allocation, portfolio management or risk profiling, which are properly recorded by the Retirement Adviser and have been undertaken for the benefit of the prospect or subscriber and shall include retirement planning.
- 3. This circular contains guidance to Retirement Advisers with regard to the application/registration fees paid to the Authority, charges to be collected from the prospects or subscribers, service standards to be followed, process of redressal of grievances and pre-condition for renewal of certificate of registration. The effective date of applicability mentioned in respective circulars would remain unchanged.
- 4. The instructions contained in the aforesaid Master Circular have been suitably updated by incorporating relevant circulars, issued as on date.

PART II - GENERAL GUIDELINES

- 1. The compliance obligation of the Retirement Advisers shall not be confined merely to the Master Circular but, also to the applicable laws and regulations.
- 2. This Master Circular shall take effect from the date of its issuance but shall be without prejudice to their (earlier issued circulars) operation and effect, for the period when they were in force until them being subsumed under the Master Circular. Based on the above caveat, **Part V** containing the list of circulars consolidated in the Master Circular shall stand rescinded with the issuance of the Master Circular, such that they are subsumed in the Master Circular and for all purpose and intent, remain operative, with no break of continuity.
- 3. Notwithstanding such rescission of any circular, upon their merger in the Master Circular, or otherwise, anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or to be taken hereafter, under the circulars now rescinded (for the period of their operation) shall be construed to have been validly taken as if the said circulars are in full force and effect and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.
- 4. The previous operation of the rescinded circulars or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred, any penalty, any order



passed, any violation committed, any investigation, legal proceedings pending in terms of the circular (now rescinded), shall be treated as if the circulars are in full force and effect, and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

PART III - Guidance to Retirement Advisers

1. Fee Structure of Retirement Advisers (RAs) to be paid to the Authority

1.1 Application Fees

Any applicant, whether in the Individual or non-individual category who desires to register themselves as a Retirement Adviser or to renew their registration as a Retirement Adviser, shall pay a non-refundable application fee along with applicable taxes and levies thereon, as stipulated below, to the Authority:

Category	Application fee		
Individuals	Rs. 500/-		
Non - Individuals	Rs. 1000/-		

1.2 Registration/Renewal Fees

The applicant shall be issued a Letter of Acceptance once the eligibility criteria and Qualification and other requirements mentioned in Regulations 6, 7 and Form A of the PFRDA (RA) Regulations, 2016 are satisfied. After the receipt of the intimation from the Authority, the applicant shall pay registration /renewal fees along with applicable taxes and levies thereon, to the Authority within 15 days at the time of grant or renewal of certificate of registration. The below is the registration fee structure:

Category	Registration/renewal fee		
Individuals	Rs. 1000/-		
Non - Individuals	Rs. 5000/-		

Note - The requirement of submission of Security Deposit as specified under regulation 8 of the erstwhile PFRDA (RA) Regulations, 2016 has been discontinued with the notification of amended PFRDA (RA) Regulations, 2016 (notified on 20.02.2024). Therefore, the Retirement Advisers, whether individual or non-individual category who registered with the Authority post amendment of PFRDA (RA) Regulations, 2016 (notified on 20.02.2024) are not required to submit security deposit as mentioned in the circular vide no. PFRDA/2018/39/RA dated 09.01.2018.



2. Retirement Adviser Certification Examination

Any individual or key personnel of non-individual (as defined under Regulation 2(viiia) to be read with 2(vii) and 2(ixa)), acting or desirous of acting as Retirement Adviser under the PFRDA (RA) Regulations, 2016, shall obtain certification from the National Institute of Securities Markets (NISM) by passing the "NISM-Series-XVII: Retirement Adviser Certification Examination" to become eligible for grant of certificate of registration as a Retirement Adviser, besides fulfilling other terms and conditions mentioned in the regulations.

पाधिकरण

The possession of any further certification from the National Institute of Securities Markets (NISM) or any other organisation or institution shall be determined by the Authority from time to time.

3. Charges to be collected by Retirement Adviser from the subscribers

3.1 In the exercise of the powers conferred under Regulation 15 of the PFRDA (RA) Regulations, 2016, the following charge structure for Retirement Advisers on various NPS-related activities shall be followed:

Particulars	For Individual and Non-Individual RAs
Onboarding	Upto Rs. 400/- per account (one time)
Charges	
Advisory Charges	0.02% of AUM subject to a minimum of Rs. 250/- and a maximum
	of Rs. 2000/- per subscriber per annum, for the particular financial
	year in which advice has been given to the subscribers.

Note: The new charge structure mentioned at point 3.1 shall be effective from the date of issue of this Master Circular and shall be subject to revision by the Authority from time to time. Further, it is to be noted that "Subsequent Transaction Charges" to be collected by Retirement Advisers -Individuals and Non-Individuals as mentioned vide circular PFRDA/2018/39/RA dated 09th January 2018 has been discontinued from the date of issue of this Master Circular.

- 3.2 The scope of such advice being provided by the Retirement Advisers in any manner, either oral or in writing to the subscribers will be limited to asset/investment allocation and choice of a Pension Fund Manager (PFM) for their financial assets under NPS or any other scheme regulated by PFRDA.
- 3.3 The advisory charges can be collected by the Retirement Adviser (RA) only when the subscriber has signed an agreement with the RA for providing advice, wherein the lower and upper limits of the advisory charges, as specified by the Authority may be incorporated. No



advisory charges shall be collected at the time of onboarding of the subscriber along with the onboarding charges.

3.4 All charges collected by the Retirement Adviser shall be duly acknowledged by the issuance of appropriate receipts for the service provided to the subscriber or prospect, as the case may be.

4. Reports and Disclosures to be submitted by Retirement Advisers

In the exercise of the powers conferred under Chapter II and III of the PFRDA (RA) Regulations, 2016, the Retirement Advisers shall submit the following reports to the Authority on a timely basis:

- **(i) Annual Compliance Certificate (Annexure 1):** To be submitted by both Individual and Non individual Retirement Advisers by 30th April of every year to the "Regulation Department" of the PFRDA.
- (ii) Annual Certificate (Annexure 2) duly certified by Chartered Accountant: To be submitted by the Non-Individual Retirement Adviser by 30th April of every year to the "Regulation Department" of the PFRDA.

Any other details/reports may be submitted by Retirement Advisers as specified by the Authority from time to time.

Note: The Annual Compliance Certificate (Annexure 1) and Annual Certificate (Annexure 2) are to be submitted by Retirement Advisers as mentioned in point 4 and shall be effective from the date of issue of this Master Circular. Further, it is to be noted that earlier formats mentioned vide circular no. PFRDA/16/13/15/0011/2017-REG-RA dated 21st August 2017 have been discontinued from the date of issue of this Master Circular.

5. Pre-Condition for renewal of Certificate of Registration of RAs

When the Retirement Adviser applies for renewal of Certificate of Registration, in exercise to the powers conferred under Regulation 11 of PFRDA (RA) Regulations 2016, the Authority shall consider the Retirement Adviser's performance during the original period of registration.

It is imperative that RAs should source a substantive number of NPS accounts and ensure that all out efforts are made to maximise their outreach in order to create a fully pension society.

5.1 Every Retirement Adviser shall source a minimum number of following NPS accounts during their tenure of registration (i.e. 3 years) as Retirement Adviser to consider the renewal application, as per the table given below:



Category	Minimum number of NPS accounts to be sourced			
Individuals RAs	36 Nos			
Non – Individual RAs	72 Nos			

Note: The above-mentioned Pre-Condition for renewal of Certificate of Registration of RAs shall be effective from the date of issue of this Master Circular. The RAs which are already registered prior to the issue of this Master Circular, shall source the minimum number of NPS accounts on a prorata basis for their renewal application to be considered.

6. Redressal of grievances:

- 6.1 As per Regulation 23 of the PFRDA (RA) Regulations 2016, RAs should adhere to the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 for redressing complaints pertaining to services rendered to NPS subscribers.
- 6.2 The name and telephone number of the designated Grievance Redressal officer of the 'Non-Individual Retirement Adviser' should be made available to the subscriber. The designated officer should ensure that the grievances of subscribers are redressed properly.

7. Service Standards for Retirement Advisers:

In exercise to the powers conferred under chapter III of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser), Regulations, 2016, the following service standards are being issued for compliance by all Retirement Advisers.

- 7.1 Retirement Adviser shall follow the 'Service Standards' as provided under Schedule I, for providing the functions relating to the onboarding of subscribers, instructions/ contributions from subscribers and transmission of the same to designated NPS intermediaries.
- 7.2 Retirement Adviser shall provide services related to subsequent transactions and other services like Switch/Scheme preference change, shifting of POP etc. in accordance with Schedule I.
- 7.3 The Retirement Adviser shall resolve the grievance from prospective or existing NPS subscribers within time limit specified by the Authority under Schedule I.
- 7.4 Recurring defaults in the compliance of service standards as specified in Schedule 1 may also be dealt as per Chapter V of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016.



The service standards may be modified by the Authority from time to time depending upon the service requirements.

All entities have to follow all the regulations of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser), Regulations, 2016 and comply with the terms and conditions as specified in the regulations in addition to the details mentioned above.

Schedule - 1

Retirement Adviser – Service Standards

S.	Р	arameter	Service	Turn around				
No.			Requirements	Time				
	Onboarding of Subscribers							
1.	Onboarding of applicants through physical application form	Facilitating the subscriber in filling the common subscriber Registration form (CSRF-P) from the applicant. Collection of initial contribution	RA shall follow PFRDA guidelines on KYC requirements for the opening of account and prescribe the same to the prospect. RA has to ensure that the initial contribution in case of physical submission of application form is by way of cheque in the name of "Name of the PoP or its abbreviation - Collection Account - Name of the Pension Scheme or its abbreviation - National Pension System Trust or its abbreviation" only. The cheque must be submitted to the	The documents once must be submitted to the POP on the T or T+1 day basis.				
2.	Onboarding of applicants through e- NPS	Entering the details of the applicant online.	POP. RA shall ensure entering the KYC documents prescribed by PFRDA.	T Where T is the date of receipt of complete documents/det ails from the subscriber.				
		Processing of initial contribution	RA has to ensure confirm the initial contribution has to	T or T+1				



			be processed online directly by the applicant without his involvement (or) RA has to ensure that the cheque in the name of "Name of the PoP or its abbreviation - Collection Account - Name of the Pension Scheme or its abbreviation - National Pension System Trust or its abbreviation" is submitted to the POP.	Where T is the date of receipt of complete documents/det ails/ Cheque from the subscriber.
		Subsequent C		
3.	Processing of subsequent contribution.	Collection of subsequent contributions by way of cheque. Miscellaneou	The subscriber has to submit the cheque with the respective POP for further processing.	T+1 Where T is the date of receipt of complete filled in cheque.
4	Missellanseus	-		T.1
4	Miscellaneous Services	A) Switch/Scheme Preference change B) Exit / Withdrawal Claims C) Change Requests-I-PIN/T- Pin, PRAN card/Change in personal details etc. D) Shifting of Subscriber	Subscriber request to be submitted with the respective POP.	T+1 Where T is the date of receipt of request with complete documents.
5	Redressal of Grievances	Grievances received from NPS subscribers and prospective NPS Subscribers against the RA.	As provided under both PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 and PFRDA, (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015.	Prompt redressal of grievances as prescribed in the respective Regulations / Guidelines



PART IV - Annexures

Annexure - 1

Annual Compliance Certificate (ACC) for Retirement Adviser for FY 202 - 202 .

(To be submitted to Regulation Department, PFRDA annually latest by 30th April, every year)

(To be submitted by both Individual and Non-Individual Retirement Advisers)

I/We certify that I/We have complied with the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended, and all the Guidelines / Circulars / Notifications / Directions and Code of Conduct issued by the Authority, in performing activities related to Retirement Adviser. I/We further agree that, I/We have complied with the following provisions under PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended, while performing operating activities of Retirement Adviser for the above-mentioned period;

- 1) I/We have fulfilled the eligibility criteria at all times as prescribed in Regulation 6 of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended.
- 2) I/We have possessed the required qualifications and certification at all times as prescribed in regulation 7 of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended.
- 3) I/We have complied with all the terms and conditions of the Certificate of Registration issued by PFRDA as well as the conditions of certificate as prescribed under regulation 13 of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended.
- 4) I/We have complied with clauses (e), (f) and (g) of regulation 17 on the subject matter of advising the prospects or subscribers to fill various forms for enrolment, exit, modify or change personal master details, nomination, Point of Presence, Pension Funds, investment choices, the performance of Pension funds, underlying asset portfolio, NAV, general financial market trend, changes in various policies & guidelines issued by Authority, or any information pertaining to intermediaries under National Pension System including National Pension System Trust.
- 5) I/We have collected charges for providing retirement advice in accordance with the guidelines or circulars issued by the Authority.
- 6) I/We have acted in a fiduciary capacity towards my prospects/subscribers and have disclosed all conflicts of interest as and when they occurred.
- 7) I/We have not received/collected any consideration by way of remuneration or compensation or in any other form from any person other than the Prospects or Subscribers advised by me, in respect of National Pension System (NPS) or other pension scheme regulated by Authority, for which such advice is provided.
- 8) I/We have not received/collected any amount in cash for investment or contribution to the pension account of the subscribers in the capacity of Retirement Adviser.
- 9) I/We have segregated retirement advisory activities, maintained arms-length relationships from other activities and disclosed any such conflict of interest that arose to the prospects or subscribers, beforehand.
- 10) I/We have not divulged any confidential information about my Prospect or Subscriber, which has come to my knowledge, without taking prior permission of my prospect or subscriber, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.
- 11) I/We have ensured to abide by the Code of Conduct as specified by the Authority at all times while performing the activities related to Retirement Adviser.
- 12) I/We have taken all necessary measures for the prevention of fraud and developed and implemented a fraud prevention and mitigation policy in accordance with guidelines issued by the Authority.
- 13) I/We have followed 'Know Your Customer' (KYC), Anti Money Laundering (AML) and Countering Financing of Terrorism (CFT) procedures as determined by the Authority, from time to time and ensured that



due diligence procedure is conducted through effective use of KYC verification process as required under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (17 of 2003) and the rules notified thereunder or any other law, besides relevant regulations, guidelines, circulars, and directions issued by the Authority in that behalf.

- 14) I/We have laid down internal controls and ensured that they are adequate and operating effectively.
- 15) I/We have made provisions to indemnify the subscribers for any loss on account of fraud or negligence on my part of the retirement advice, which has been established.
- 16) I/We have furnished information, reports as specified by the Authority and intimation with respect to change in control of the firm to the Authority on a timely basis.
- 17) I/We have ensured that all the activities performed in the capacity of Retirement Adviser are within the scope of work as prescribed under regulation 18 of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended.
- 18) I/We have made all the necessary disclosures to the prospects/subscribers as prescribed in regulation 20 of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended.
- 19) 1/We have maintained records as prescribed in regulation 21 of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended.
- 20) I/We have complied with all the general obligations and responsibilities of Retirement Adviser *in toto,* as have been laid down under Chapter III and Regulation 17 to Regulation 24 thereunder of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended
- 21) I/We have abided by the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 as amended from time to time at all times.
- 22) I/We have ensured that no such events as prescribed under regulation 30 of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended, have occurred during the reporting period, which leads to suspension or cancellation of Certificate of Registration.
- 23) I/We have not delegated Retirement Adviser certificate to the third party.24) Number of Accounts sourced during the above-mentioned reporting period -

24) Number of Accounts sourced during the above-mentioned reporting period
Name of the Retirement Adviser:
Category: Individual/ Other than Individual
Registration Code:
Name of the Compliance Officer (In case of Non-Individual RA):
Date:
Place:
Seal & Signature*:

*For Non-Individual RA, Seal is mandatory and the certificate must be signed by the Compliance Officer.



DECLARATION FOR FIT AND PROPER PERSON BY RETIREMENT ADVISER

Schedule V

PFRDA (Retirement Adviser) Regulations. 2016 as amended thereon

[see: Reg 6]

To,

Pension Fund Regulatory and Development Authority

New Delhi

I/ We, M/s. <.....> hereby declare that I/ We, our directors/ partners, compliance Officer and other Key Personnel are 'fit and proper person' including but not limited to the following criteria:

- (a) financial integrity;
- (b) absence of convictions or civil liabilities;
- (c) competence;
- (d) good reputation and character;
- (e) efficiency and honesty; and
- (f) financial solvency and net worth.

Further, as per Schedule V of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended thereon, I/ We confirm the following in this regard:

- (i) Criminal complaint or information under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has not been filed against me/us or our directors/ partners, Compliance Officer and other Key Personnel by the Authority and which is pending;
- (ii) Charge sheet has not been filed against me/us or our directors/ partners, Compliance Officer and other Key Personnel by any enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
- (iii) No order of restraint, prohibition or debarment has been passed against me/us or our directors/ partners, Compliance officer and other Key Personnel by the Authority or any regulatory authority or enforcement agency in any matter concerning securities laws or financial markets and such order is in force;
- (iv) No recovery proceedings have been initiated by the Authority against me/us or our directors/partners, Compliance officer and other Key Personnel and are pending;
- (v) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and other Key Personnel have not been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or involving economic offences or fraud;
- (vi) No winding up proceedings have been initiated or an order for winding up has been passed against me/us or our directors/ partners, Compliance officer and other Key Personnel;
- (vii) Neither I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and other Key Personnel have been declared insolvent and not discharged;
- (viii) I/ We, our directors/partners, Compliance officer and other Key Personnel have not been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;



- (ix) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and other Key Personnel have not been categorized as a willful defaulter;
- (x) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and other Key Personnel have not been declared a fugitive economic offender;

Details of Directors/Partners/Compliance Officer and other Key Personnel (*To be filled in case of Non-Individual Retirement Adviser*)

Particulars	Name	Designation	Business Address	Mobile No.	E-mail Address
Directors(s)					
Partners(s)					
Compliance Officer					
Other Key Personnel					

I/We declare that I/ We, our directors/partners, Compliance officer and other Key Personnel shall be bound at all times by the provisions of the PFRDA Act, 2013, the rules and regulations notified thereunder, along with amendments thereof and all instructions/directions/guidelines and circulars that may be issued from time to time by the Authority in relation to NPS.

Name of the Retirement Adviser:
Category: Individual/ Other than Individual
Registration Code:
Name of the Compliance Officer (In case of Non-Individual RA):
Date:
Place:
Seal & Signature*:
*For Non-Individual RA, Seal is mandatory and the certificate must be signed by the Compliance Officer.



Annexure -2

Annual Certificate for Retirement Adviser for FY 202 - 202 .

(To be submitted to Regulation Department, PFRDA annually *latest by 30th April, every year*)

(To be submitted by Non-individual Retirement Adviser only)

We have examined the relevant books	of accounts, records and documents maintained by M/s
	(Name of the Retirement Adviser) bearing
PFRDA	
registration number	to fulfill the fit and proper person criteria or eligibility
	viser as required under the PFRDA (Retirement Adviser)
Regulations, 2016 as amended, as on 3	31 st March, 20
Based on the scrutiny of relevant book	s of accounts, records and documents, we certify that the
M/s	(Name of Retirement Adviser) is in compliance with
	riteria, Qualification and other requirements specified in the
PFRDA (Retirement Adviser) Regulat	ions, 2016 as amended, throughout the tenure of such
Certificate of Registration so granted" a	and in compliance of the relevant provisions of PFRDA Act,
2013. The details are as given below:	

S.		Check Point		Yes/No	Details
No				thereof	
1	Tick the appropriate one:				
	Company	Limited Liability Partnership			
	Others				
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1 '1''		
2	criteria as speci PFRDA (Retirema amended;	has complied with the eligified as per regulation 6 of ent Adviser) Regulations, 201	the 6 as		
3	Is there any change with respect to regulation 6 of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended, since the submission of the last annual certificate or details given at the time of submitting the application for registration as RA.				
4	Whether the RA has complied with the qualification and other requirements as specified as per regulation 7 of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended;				
5	Is there any change with respect to regulation 7 of the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended, since the submission of the last annual certificate or details given at the time of submitting the application for registration as RA.				
6		as complied with all the terms specified in the Certificate R);			
7	Whether the Retirement Adviser has charged to the prospects or subscribers as specified in regulation 15, circular and or/ amendment in the regulation;				



Place: Date:

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

8	Whether the Retirement Adviser has maintained records as specified in regulation 21 of the PFRDA	
	(Retirement Adviser) Regulations, 2016 as amended;	

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us by the director(s)/ partner(s), compliance officer, the above report provided by us, subject to our observations, is true and correct.

observations, to true and correct.	
To be signed by Chartered Accountant	
(Seal and signature)	
Name of Chartered Accountant: Membership No. / COP No.: Firm Name (<i>If applicable</i>): Firm registration number:	
Place: Date:	
To be Countersigned by Compliance Officer	
(Seal and signature)	
Name of the Compliance Officer: Address: Mobile: Email address:	



PART V - List of circulars consolidated in the Master Circular

S.No	Circular No. (With Link to access)	Date of Issuance	Subject
1	PFRDA/2016/14/CORP/02	28/06/2016	Retirement Adviser Certification Examination: Accreditation of National Institute of Securities Markets (NISM)
2	PFRDA/2018/39/RA	09/01/2018	Modification of application fee, registration fee, onboarding fee for RAs and revision in requirement of security deposit after the notification of PFRDA (Retirement Adviser) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 [Partly rescinded in respect to security deposit and old charge structure]
3	PFRDA/16/13/15/0011/2017- REG-RA	21/08/2017	Guidelines for Operational activities – to be followed by Retirement Advisers [Partly rescinded in respect to Reports and disclosures mentioned in point B]
4	PFRDA/36/R&S/RA/4	22/09/2016	Introduction of "Advisory fee" under Regulation 15 of PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 [Rescinded in respect of old advisory fee]





मास्टर परिपत्र

पीएफआरडीए/मास्टर परिपत्र/2024/आर ऐ - ०१

दिनांक: 27 नवंबर 2024

सेवा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सभी हितधारक

महोदया/महोदय,

मास्टर परिपत्र - सेवानिवृत्ति सलाहकारों को मार्गदर्शन

- यह परिपत्र पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उप-धारा
 (2) खंड (सी) और (एम) के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (1) और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 (जैसा कि संशोधित किया गया है) के अध्याय
 ॥ और ॥। (इसके बाद पीएफआरडीए (आरए) विनियम, 2016 के रूप में संदर्भित) है।
- यह मास्टर परिपत्र सेवानिवृत्ति सलाहकारों को मार्गदर्शन के विषय पर मौजूदा निर्देशों को समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित अंतर्निहित परिपत्रों की सूची भाग v में दी गई है। यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

ASHISH Digitally signed by ASHISH KUMAR BHARATI BHARATI (आशीष कुमार भारती)
महाप्रबंधक



अनुक्रमणिका			
भाग ।	परिचय		
भाग ॥	सामान्य दिशानिर्देश		
भाग ॥।	सेवानिवृत्ति सलाहकारों को मार्गदर्शन		
भाग ।∨	अनुलग्नक		
भाग ∨	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची (हाइपरलिंक के साथ)		



भाग ।- परिचय

- 1. सेवानिवृत्ति सलाहकार का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो एक व्यक्ति या गैर-व्यक्ति है, जो विचार के लिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) या पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत कवर की गई किसी अन्य पेंशन योजना पर सेवानिवृत्ति सलाह संभावनाएं या ग्राहक या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो खुद को सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में रखता है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, को प्रदान करने की गतिविधि में लगा हुआ है। ।
- 2. सेवानिवृत्ति सलाह का अर्थ है संभावित अभिदताओं के ऑनबोर्डिंग से संबंधित गतिविधि, पेंशन फंड चयन पर सलाह, निवेश आवंटन, पोर्टफोलियों प्रबंधन या जोखिम प्रोफाइलिंग से संबंधित गतिविधि, जो सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा ठीक से दर्ज की गई है और संभावना या ग्राहक के लाभ के लिए की गई है और इसमें सेवानिवृत्ति योजना शामिल होगी।
- 3. इस परिपत्र में प्राधिकरण को भुगतान किए गए आवेदन/पंजीकरण शुल्क, संभावनाओं या ग्राहकों से एकत्र किए जाने वाले शुल्क, पालन किए जाने वाले सेवा मानक, शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया और पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए पूर्व शर्त के संबंध में सेवानिवृत्ति सलाहकारों को मार्गदर्शन शामिल है। संबंधित परिपत्रों में उल्लिखित प्रयोज्यता की प्रभावी तिथि अपरिवर्तित रहेगी।
- 4. उपरोक्त मास्टर परिपत्र में निहित निर्देशों को दिनांक के अनुसार जारी प्रासंगिक परिपत्रों को शामिल करके उपयुक्त रूप से अद्यतन किया गया है।

भाग ॥ - सामान्य दिशानिर्देश

- 1. सेवानिवृत्ति सलाहकारों का अनुपालन दायित्व केवल मास्टर परिपत्र तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि लागू कानूनों और विनियमों पर भी लागू होगा।
- 2. यह मास्टर परिपत्र इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा, लेकिन उनके (पहले जारी परिपत्र) संचालन और प्रभाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस अविध के लिए जब तक कि वे मास्टर परिपत्र के तहत शामिल नहीं हो जाते। उपरोक्त चेतावनी के आधार पर, मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची वाले भाग v को मास्टर परिपत्र जारी करने के साथ रद्द कर दिया जाएगा, जैसे कि उन्हें मास्टर परिपत्र में शामिल किया गया है और सभी उद्देश्यों और इरादे के लिए, ऑपरेटिव बने रहें, निरंतरता का कोई ब्रेक नहीं।
- 3. किसी भी परिपत्र के इस तरह के निरसन के बावजूद, मास्टर परिपत्र में उनके विलय पर, या अन्यथा, अब रद्द किए गए परिपत्रों (उनके संचालन की अविध के लिए) के तहत किए गए या किए जाने या इसके



बाद की जाने वाली कोई भी कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई।) को वैध रूप से लिया गया माना जाएगा जैसे कि उक्त परिपत्र पूरी ताकत और प्रभाव में हैं और किसी भी तरह से उनके निरसन से अप्रभावित रहेंगे।

4. रद्द किए गए परिपत्रों या उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़ के पिछले संचालन, किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व का अधिग्रहण, अर्जित या उपगत किया गया, कोई भी दंड, पारित कोई आदेश, कोई भी उल्लंघन, कोई जांच, कानूनी कार्यवाही के संदर्भ में लंबित परिपत्र (अब रद्द कर दिया गया), को माना जाएगा जैसे कि परिपत्र पूरी ताकत और प्रभाव में हैं, और किसी भी तरह से उनके निरसन से अप्रभावित रहेंगे।

भाग ॥। - सेवानिवृत्ति सलाहकारों को मार्गदर्शन

1. सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरएएस) की शुल्क संरचना का भुगतान प्राधिकरण को किया जाएगा

1.1 आवेदन शुल्क

कोई भी आवेदक, चाहे वह व्यक्तिगत या गैर-व्यक्तिगत श्रेणी में हो, जो सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में खुद को पंजीकृत करना चाहता है या सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में अपने पंजीकरण को नवीनीकृत करना चाहता है, नीचे दिए गए अनुसार लागू करों और उद्ग्रहणों के साथ एक गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा:

श्रेणी	आवेदन शुल्क
व्यक्तिगत	₹. 500/-
गैर-व्यक्तिगत	₹. 1000/-

1.2 पंजीकरण/नवीकरण शुल्क

पीएफआरडीए (आरए) विनियम, 2016 के विनियम 6, 7 और फॉर्म ए में उल्लिखित पात्रता मानदंड और योग्यता और अन्य आवश्यकताओं के संतुष्ट होने के बाद आवेदक को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के बाद, आवेदक पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान या नवीनीकरण के समय 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण को लागू करों और लेवी के साथ पंजीकरण / नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करेगा। नीचे पंजीकरण शुल्क संरचना है:

श्रेणी	पंजीकरण / नवीकरण शुल्क		
व्यक्तिगत	रु. 1000/-		
गैर-व्यक्तिगत	₹. 5000/-		



नोट - पूर्ववर्ती पीएफआरडीए (आरए) विनियम, 2016 के विनियम 8 के तहत निर्दिष्ट सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता को संशोधित पीएफआरडीए (आरए) विनियम, 2016 (20.02.2024 को अधिसूचित) की अधिसूचना के साथ बंद कर दिया गया है। इसलिए, सेवानिवृत्ति सलाहकार, चाहे व्यक्तिगत या गैर-व्यक्तिगत श्रेणी जो पीएफआरडीए (आरए) विनियम, 2016 (20.02.2024 को अधिसूचित) के संशोधन के बाद प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हों, को परिपत्र में उल्लिखित सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। पीएफआरडीए/2018/39/आरए दिनांक 09.01.2018।

2. सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा

गैर-व्यक्तिगत का कोई भी व्यक्ति या प्रमुख कार्मिक (जैसा कि विनियम 2(viiiक) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे 2(vii) और 2(ixa) के साथ पढ़ा जाना है), पीएफआरडीए (आरए) विनियम, 2016 के तहत सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में कार्य करने का इच्छुक या इच्छुक है, विनियमों में उल्लिखित अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करने के अलावा, सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पात्र बनने के लिए "एनआईएसएम-श्रृंखला-XVII: सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा" पारित करके राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) से प्रमाणन प्राप्त करेगा।

राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) या किसी अन्य संगठन या संस्थान से किसी भी आगे के प्रमाणीकरण का कब्जा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

3. अभिदाताओं से सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभार

3.1 पीएफआरडीए (आरए) विनियम, 2016 के विनियम 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न एनपीएस से संबंधित गतिविधियों पर सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए निम्नलिखित प्रभार संरचना का पालन किया जाएगा:

विवरण	व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत आरए के लिए		
ऑनबोर्डिंग प्रभार	अधिकतम रु. 400/- प्रति खाता (एक बार)		
सलाहकार प्रभार	एयूएम का 0.02% है, जो न्यूनतम रु. 250/- और अधिकतम रु 2000/- प्रति ग्राहक प्रति वर्ष, विशेष वित्तीय के लिए वह वर्ष जिसमें ग्राहकों को सलाह दी गई है।		

नोट: बिंदु 3.1 पर उल्लिखित नई चार्ज संरचना इस मास्टर परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संशोधन के अधीन होगी। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सेवानिवृत्ति सलाहकारों व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए जाने वाले बाद के लेनदेन शुल्क जैसा कि



परिपत्र पीएफआरडीए/2018/39/आरए दिनांक 09 जनवरी 2018 के माध्यम से उल्लेख किया गया है, इस मास्टर परिपत्र के जारी होने की तारीख से बंद कर दिया गया है।

- 3.2 सेवानिवृत्ति सलाहकारों द्वारा किसी भी तरीके से प्रदान की जा रही ऐसी सलाह का दायरा, या तो मौखिक या ग्राहकों को लिखित रूप में, एनपीएस या पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किसी अन्य योजना के तहत उनकी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) की संपत्ति / निवेश आवंटन और पसंद तक सीमित होगा।
- 3.3 सलाहकार शुल्क सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए) द्वारा तभी एकत्र किया जा सकता है जब ग्राहक ने सलाह प्रदान करने के लिए आरए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हों, जिसमें प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सलाहकार शुल्क की निचली और ऊपरी सीमाएं शामिल की जा सकती हैं। ऑनबोर्डिंग शुल्क के साथ ग्राहक के ऑनबोर्डिंग के समय कोई सलाहकार शुल्क एकत्र नहीं किया जाएगा।
- 3.4 सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा एकत्र किए गए सभी शुल्क, जैसा भी मामला हो, ग्राहक या संभावना को प्रदान की गई सेवा के लिए उपयुक्त रसीदें जारी करके विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

4. सेवानिवृत्ति सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट और प्रकटीकरण

पीएफआरडीए (आरए) विनियम, 2016 के अध्याय ॥ और ॥। के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवानिवृत्ति सलाहकार समय पर प्राधिकरण को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे:

- (i) वार्षिक अनुपालन प्रमाण पत्र (अनुबंध 1): व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत दोनों सेवानिवृत्ति सलाहकारों द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक पीएफआरडीए के "विनियमन विभाग" को प्रस्तुत किया जाना है।
- (ii) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक प्रमाण पत्र (अनुबंध 2): गैर-व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक पीएफआरडीए के "विनियमन विभाग" को प्रस्तुत किया जाना है।

प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति सलाहकारों द्वारा कोई अन्य विवरण/रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।

नोट: वार्षिक अनुपालन प्रमाण पत्र (अनुबंध 1) और वार्षिक प्रमाण पत्र (अनुबंध 2) बिंदु 4 में उल्लिखित सेवानिवृत्ति सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है और इस मास्टर परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहले के प्रारूप परिपत्र संख्या के माध्यम से उल्लिखित हैं। पीएफआरडीए/16/13/15/0011/2017-रेग-आरए दिनांक 21 अगस्त 2017 को इस मास्टर परिपत्र के जारी होने की तारीख से बंद कर दिया गया है।



5. आरएएस के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए पूर्व शर्त

जब सेवानिवृत्ति सलाहकार पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है, तो पीएफआरडीए (आरए) विनियम 2016 के विनियम 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण पंजीकरण की मूल अविध के दौरान सेवानिवृत्ति सलाहकार के प्रदर्शन पर विचार करेगा।

यह अनिवार्य है कि आरए को एनपीएस खातों की एक बड़ी संख्या प्राप्त करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्ण पेंशन समाज बनाने के लिए उनके आउटरीच को अधिकतम करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं।

5.1 प्रत्येक सेवानिवृत्ति सलाहकार अपने पंजीकरण के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित एनपीएस खातों की न्यूनतम संख्या का स्रोत होगा (अर्थात 3 वर्ष) नीचे दी गई तालिका के अनुसार नवीनीकरण आवेदन पर विचार करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में:

श्रेणी	प्राप्त किए जाने वाले एनपीएस खातों की न्यूनतम
	संख्या
व्यक्तिगत	36
गैर-व्यक्तिगत	72

नोट: आरए के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए उपर्युक्त पूर्व-शर्त इस मास्टर परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी। आरए जो पहले से ही इस मास्टर परिपत्र के जारी होने से पहले पंजीकृत हैं, उनके नवीनीकरण आवेदन पर विचार करने के लिए आनुपातिक आधार पर एनपीएस खातों की न्यूनतम संख्या का स्रोत होंगे।

6. शिकायतों का निवारण:

6.1 पीएफआरडीए (आरए) विनियम 2016 के विनियम 23 के अनुसार, आरए को एनपीएस ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (ग्राहक शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 का पालन करना चाहिए।

6.2 'गैर-व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार' के नामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और टेलीफोन नंबर ग्राहक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की शिकायतों का ठीक से निवारण किया जाए।



7. सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए सेवा मानक:

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार), विनियम, 2016 के अध्याय III के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी सेवानिवृत्ति सलाहकारों द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित सेवा मानक जारी किए जा रहे हैं।

7.1 सेवानिवृत्ति सलाहकार अभिदाताओं के ऑनबोर्डिंग, अभिदाताओं से अनुदेशों/अंशदान और अभिहित एनपीएस मध्यस्थों को इसके प्रसारण से संबंधित कार्य प्रदान करने के लिए अनुसूची। के तहत प्रदान किए गए 'सेवा मानक' का पालन करेगा।

7.2 सेवानिवृत्ति सलाहकार अनुसूची। के अनुसार। बाद के लेनदेन और स्विच/योजना वरीयता परिवर्तन, पीओपी के स्थानांतरण आदि जैसी अन्य सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा।

7.3 सेवानिवृत्ति सलाहकार अनुसूची। के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर संभावित या मौजूदा एनपीएस ग्राहकों के शिकायत का समाधान करेगा।

7.4 अनुसूची 1 में निर्दिष्ट सेवा मानकों के अनुपालन में आवर्ती चूक को पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के अध्याय V के अनुसार भी निपटाया जा सकता है।

सेवा आवश्यकताओं के आधार पर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सेवा मानकों को संशोधित किया जा सकता है।

सभी संस्थाओं को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार), विनियम, 2016 के सभी विनियमों का पालन करना होगा और ऊपर उल्लिखित विवरण के अलावा विनियमों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।



<u>अनुसूची - 1</u> सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवा मानक

क्र. सं.	पैर	रामीटर	सेवा आवश्यकताएं	समय निकालें			
***	अभिदाताओं की ऑनबोर्डिंग						
1.	भौतिक आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदकों की ऑनबोर्डिंग	dr amerende diar	जालन करना आर इस समावत अभिदाता के लिए निर्धारित करेगा।				
			आरए को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र को भौतिक रूप से जमा करने के मामले में प्रारंभिक योगदान चेक के माध्यम से "पीओपी का नाम या इसका संक्षिप्त नाम - संग्रह खाता - पेंशन योजना का नाम या इसका संक्षिप्त नाम - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट या इसका संक्षिप्त नाम" के नाम पर है। चेक पीओपी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	दस्तावेजों को एक बार पीओपी को टी या टी + 1 दिन के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।			
		आवेदक का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना।	वार्यजारडार्वे द्वारा नियारत केवाईसी दस्तावेज।	टी जहां टी ग्राहक से पूर्ण दस्तावेजों/विवरणों की प्राप्ति की तारीख है।			
2.		प्रसंस्करण	आरए को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रारंभिक योगदान को आवेदक द्वारा अपनी भागीदारी (या) आरए के बिना सीधे ऑनलाइन संसाधित किया जाना है, यह सुनिश्चित करना होगा कि चेक "पीओपी का नाम या इसका संक्षिप्त नाम - संग्रह खाता - पेंशन योजना का नाम या इसका संक्षिप्त नाम - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट या इसका संक्षिप्त नाम" पीओपी को प्रस्तुत किया जाता है।	टी या टी + 1 जहां टी पूर्ण दस्तावेजों/विवरणों की प्राप्ति की तारीख है/ अभिदाता से चेक.			
	आगे का योगदान						
3.		चेक के माध्यम से बाद के योगदान का संग्रह।	अभिदाता को आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित पीओपी के साथ चेक जमा करना होगा।	जहां टी पूर्ण भरे हुए चेक			



		विविध	ध सेवाएं	
4	विविध सेवाएं	क) स्विच/योजना वरीयता परिवर्तन बी) निकास/निकासी दावे ग) अनुरोध बदलें-I- PIN/T-PIN, PRAN व्यक्तिगत विवरण आदि में कार्ड/परिवर्तन। घ) अभिदाता का स्थानांतरण	संबंधित पीओपी के साथ सब्सक्राइबर अनुरोध प्रस्तुत किया जाना है।	टी + 1 जहां टी पूर्ण दस्तावेजों के साथ अनुरोध प्राप्त होने की तारीख है।
5	शिकायतों का निवारण	एनपीएस अभिदाता और भावी एनपीएस अभिदाताओं से आरए के खिलाफ प्राप्त शिकायतें	पीएफआरडीए (ग्राहक	संबंधित में निर्धारित शिकायतों का शीघ्र निवारण



भाग । ۷ - अनुलग्नक

अनुलग्नक - 1

वित्त वर्ष 202 - 202 के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार के लिए वार्षिक अनुपालन प्रमाण पत्र (एसीसी)

(विनियमन विभाग, पीएफआरडीए को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाना है)

(व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकारों दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने सेवानिवृत्ति सलाहकार से संबंधित गतिविधियों को निष्पादित करने में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016, यथासंशोधित के प्रावधानों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं/निर्देशों और आचार संहिता का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि, मैंने/हमने उपर्युक्त अविध के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार की परिचालन गतिविधियों का निष्पादन करते समय पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 यथासंशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन किया है;

- 1) मैंने/हमने संशोधित पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 6 में निर्धारित हर समय पात्रता मानदंड को पूरा किया है।
- 2) मैंने/हमारे पास पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 7 में निर्धारित हर समय आवश्यक योग्यता और प्रमाणन है।
- 3) मैंने/हमने पीएफआरडीए द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र के सभी नियमों और शर्तों के साथ-साथ पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 यथासंशोधित के विनियम 13 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रमाणन की शर्तों का अनुपालन किया है।
- 4) मैंने/हमने व्यक्तिगत मास्टर विवरण, नामांकन, उपस्थिति का बिंदु, पेंशन फंड, निवेश विकल्प, पेंशन फंड का प्रदर्शन, अंतर्निहित परिसंपत्ति पोर्टफोलियो, एनएवी, सामान्य वित्तीय बाजार प्रवृत्ति, प्राधिकरण द्वारा जारी विभिन्न नीतियों और दिशानिर्देशों में परिवर्तन, या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट सिहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत बिचौलियों से संबंधित किसी भी जानकारी को नामांकन, निकास, संशोधित या बदलने के लिए संभावनाओं या ग्राहकों को सलाह देने के विषय पर विनियम 17 के खंड (ई), (एफ) और (जी) का अनुपालन किया है।
- 5) मैंने/हमने प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या परिपत्रों के अनुसार सेवानिवृत्ति सलाह प्रदान करने के लिए शुल्क एकत्र किया है।
- 6) मैंने/हमने अपनी संभावनाओं/ग्राहकों के प्रति प्रत्ययी क्षमता में कार्य किया है और जब भी वे घटित हुए हैं, सभी हितों के टकराव का खुलासा किया है।
- 7) मैंने/हमने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजना के संबंध में मेरे द्वारा सलाह दी गई संभावनाओं या ग्राहकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से पारिश्रमिक या मुआवजे या किसी अन्य रूप में कोई विचार प्राप्त नहीं किया है/एकत्र नहीं किया है, जिसके लिए ऐसी सलाह प्रदान की जाती है।
- 8) मैंने/हमने सेवानिवृत्ति सलाहकार की क्षमता में ग्राहकों के पेंशन खाते में निवेश या योगदान के लिए नकद में कोई राशि प्राप्त/एकत्र नहीं की है।
- 9) मैंने/हमने सेवानिवृत्ति सलाहकार गतिविधियों को अलग कर दिया है, अन्य गतिविधियों से हथियारों की लंबाई के संबंध बनाए रखे हैं और पहले से ही संभावनाओं या ग्राहकों के लिए उत्पन्न होने वाले हितों के किसी भी संघर्ष का खुलासा किया है।
- 10) मैंने/हमने अपनी संभावना या ग्राहक के बारे में कोई गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं की है, जो मेरी जानकारी में आई है, मेरी संभावना या ग्राहक की पूर्व अनुमति के बिना, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के खुलासे किसी भी कानून के अनुपालन में किए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल लागू.



- 11) मैंने/हमने सेवानिवृत्ति सलाहकार से संबंधित गतिविधियों को करते समय हर समय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित किया है।
- 12) मैंने/हमने धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन नीति विकसित और लागू की है।
- 13) मैंने/हमने समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन शोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) प्रक्रियाओं का पालन किया है और यह सुनिश्चित किया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 17) और उसके तहत अधिसूचित नियमों या किसी अन्य कानून के अलावा संबंधित विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और उस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के तहत आवश्यक केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से उचित परिश्रम प्रक्रिया आयोजित की जाती है।
- 14) मैंने/हमने आंतरिक नियंत्रण निर्धारित किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि वे पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
- 15) मैंने/हमने सेवानिवृत्ति सलाह की अपनी ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान किया है, जो स्थापित किया गया है।
- 16) मैंने/हमने प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट जानकारी, रिपोर्ट और समय पर आधार पर प्राधिकरण को फर्म के नियंत्रण में परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है।
- 17) मैंने/हमने यह सुनिश्चित किया है कि सेवानिवृत्ति सलाहकार की क्षमता में की गई सभी गतिविधियां पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 18 के तहत निर्धारित कार्य के दायरे में हैं।
- 18) मैंने/हमने पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 20 में निर्धारित सभी आवश्यक प्रकटीकरण यथासंशोधित किए हैं।
- 19) 1/हमने संशोधित पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 21 में निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- 20) मैंने/हमने टोटो में सेवानिवृत्ति सलाहकार के सभी सामान्य दायित्वों और जिम्मेदारियों का अनुपालन किया है, जैसा कि पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 24 के अध्याय III और विनियम 17 के तहत निर्धारित किया गया है
- 21) मैंने/हमने समय-समय पर यथासंशोधित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन किया है।
- 22) मैंने/हमने यह सुनिश्चित किया है कि पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 यथासंशोधित के विनियम 30 के अंतर्गत निर्धारित ऐसी कोई घटना रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नहीं हुई हो, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द होता हो।

23) मैंने/हमने तीसरे पक्ष को सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाण पत्र नहीं सौंपा है।
24) उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त खातों की संख्या।
सेवानिवृत्ति सलाहकार का नाम:
श्रेणीः व्यक्तिगत/ व्यक्तिगत के अलावा
पंजीकरण कोड:
अनुपालन अधिकारी का नाम (गैर-व्यक्तिगत आरए के मामले में):
दिनांक :
स्थान :



मुहर और हस्ताक्षर*:

* गैर- व्यक्तिगत आरए के मामले में, मुहर अनिवार्य है और प्रमाणपत्र अनुपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।



सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा 'उपर्युक्त तथा उचित व्यक्ति' के लिए उद्घोषणा

अनुसूची 🗸

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 यथासंशोधित [विनियम 6 देखें]

प्रति.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली

मैं/हम, मेसर्स <......> एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम, हमारे निदेशक/भागीदार, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिक 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' हैं, जिनमें निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं, किन्तु ये निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं :

- क. वित्तीय सत्यनिष्ठा;
- ख. दोषसिद्धि या नागरिक देनदारियों का न होना;
- ग. सक्षमता;
- घ. उत्तम प्रतिष्ठा और चरित्र;
- ङ. दक्षता और ईमानदारी; और
- च. वित्तीय विलेयता और शुद्ध मालियत (नेट वर्थ)।

इसके अलावा, पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 यथासंशोधित की अनुसूची V के अनुसार, मैं/हम इस संबंध में निम्नलिखित की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि:

- (i) प्राधिकरण द्वारा मुझे/हमारे या हमारे निदेशकों/भागीदारों, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सं 1974) की धारा 154 के अंतर्गत कोई मामला, आपराधिक शिकायत या सूचना दायर नहीं किया गया है और लंबित भी नहीं है;
- (ii) आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा मेरे/हमारे या हमारे निदेशकों/भागीदारों, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है और लंबित भी नहीं है;
- (iii) मेरे/हमारे या हमारे निदेशकों/ भागीदारों, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों के खिलाफ प्रतिभूति कानूनों या वित्तीय बाजारों से संबंधित किसी भी मामले में प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा प्रतिबन्ध, निषेध या रोक का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और ऐसा कोई भी आदेश लागू नहीं है;
- (iv) प्राधिकरण द्वारा मेरे/हमारे निदेशकों/भागीदारों, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों के विरुद्ध कोई वसूली कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और लंबित भी नहीं है;
- (v) मैं/हम, हमारे निदेशकों/भागीदारों, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों को नैतिक अधमता या आर्थिक अपराधों या धोखाधड़ी से जुड़े किसी भी अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है;
- (vi) मेरे/हमारे या हमारे निदेशकों/भागीदारों, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों के विरुद्ध कोई समापन कार्यवाही नहीं शुरू की गई है अथवा इनके विरुद्ध समापन का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है;

(vii) मुझे/हमें, हमारे निदेशकों/भागीदारों, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों को दिवालिया नहीं घोषित किया गया है और न ही उन्मोचन किया गया है;

(viii) मुझे/हमें, हमारे निदेशकों/भागीदारों, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क का नहीं पाया गया है और ऐसा कोई भी निर्णय लागू नहीं है;

- (ix) मुझे/हमें, हमारे निदेशकों/भागीदारों, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों को इरादतन चूककर्ता के रूप में नहीं वर्गीकृत किया गया है;
- (x) मुझे/हमें, हमारे निदेशकों/भागीदारों, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं घोषित किया गया है;

निदेशकों/भागीदारों/अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिकों का विवरण (गैर-वैयक्तिक सेवानिवृत्ति सलाहकार के मामले में भरा जाना है)

विवरण	नाम	पदनाम	पता	मो. नं.	ई-मेल
निदेशक(कों)					
भागीदार(रों)					
अनुपालन अधिकारी					
अन्य प्रमुख कार्मिक					

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम, हमारे निदेशक/भागीदार, अनुपालन अधिकारी और अन्य प्रमुख कार्मिक प्रत्येक समय पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत अधिसूचित यथासंशोधित नियमों और विनियमों और एनपीएस के संबंध में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी अनुदेशों/निर्देशों/दिशानिर्देशों और परिपत्रों का अनुपालन करेंगे।

सेवानिवृत्ति सलाहकार का नाम:

श्रेणी : वैयक्तिक / गैर-वैयक्तिक

पंजीकरण कोड :

अनुपालन अधिकारी	का नाम	(गैर-टै	वैयक्तिक	आरए वे	मामले	में) •
913 11(1) 1 9119 91(1)	771 1111	(1 / -	1 1111111	~11 \ \ \ \		`'') •

दिनांक :

स्थान :

मुहर और हस्ताक्षर*:

*गैर-वैयक्तिक आरए के मामले में मुहर अनिवार्य है और प्रमाणपत्र अनुपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।



अनुलग्नक -2

वित्त वर्ष 202 - 202 के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार के लिए वार्षिक प्रमाण पत्र। (विनियमन विभाग, पीएफआरडीए को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाना है)

(केवल गैर-व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

हमन, सवानिवृत्ति सलाहकार क रूप म कार्य करने क	
2016, यथासंशोधित के अंतर्गत अपेक्षित 'उपयुक्त और	उचित व्यक्ति मानदंड या पात्रता मानदंड' को पूरा करने
हेतु पीएफआरडीए के पंजीकरण संख्या	को धारित करने
वाले मेसर्स	_ (सेवानिवृत्ति सलाहकार का नाम) द्वारा रखे गए लेखा-
बहियों, अभिलेखों और संगत दस्तावेजों की दिनांक 31	मार्च, 20_ पर जांच किया है।
लेखाओं, अभिलेखों और प्रासंगिक दस्तावेजों की ज	ंच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स
(सेवानिवृत्ति सलाह	हकार का नाम) अनुदत्त किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की
सम्पूर्ण अवधि के दौरान पीएफआरडीए अधिनियम, 201	
(सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 यथासंशोधित मे	ां निर्दिष्ट "पात्रता मानदंड, योग्यता और अन्य अपेक्षाओं से
संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में है। विवरण निम्नलिखि	त हैं :

जांच बिंद	हां /उहीं	विवरण			
u	וקר/וק	विपरण			
उपयुक्त पर १८क कर:					
कंपनी जिपित रेगता १पपीरापी					
अन्य					
क्या आराग ने यथासंशोधित पीएफआरडीए (सेतानितन्ति सलाहकार)					
9					
ि के गंबंध में कोर्न बनवान है।					
विनियम, 2016 के विनियम 7 के अनुसार निर्दिष्ट योग्यता और अन्य					
में संशोधित निर्दिष्ट शुल्क लिया है;					
क्या सेवानिवृत्ति सलाहकार ने पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति					
सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 21 में निर्दिष्ट अभिलेखों को					
सुरक्षित रखा है;					
	दिए गए अंतिम वार्षिक प्रमाण पत्र या विवरण प्रस्तुत करने के बाद से पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 6 के संबंध में कोई बदलाव है। क्या आरए ने यथासंशोधित पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 7 के अनुसार निर्दिष्ट योग्यता और अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है; क्या आरए के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के समय दिए गए अंतिम वार्षिक प्रमाण पत्र या विवरण प्रस्तुत करने के बाद से पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 7 के संबंध में कोई बदलाव है। क्या आरए ने पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) में निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है; क्या सेवानिवृत्ति सलाहकार ने विनियम 15, परिपत्र और/या विनियम में संशोधित निर्दिष्ट शुल्क लिया है; क्या सेवानिवृत्ति सलाहकार ने पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 21 में निर्दिष्ट अभिलेखों को	उपयुक्त पर टिक करें: कंपनी सीमित देयता भागीदारी अन्य विनियम, 2016 के विनियम 6 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का अनुपालन किया है; क्या आरए के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के समय दिए गए अंतिम वार्षिक प्रमाण पत्र या विवरण प्रस्तुत करने के बाद से पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 6 के संबंध में कोई बदलाव है। क्या आरए ने यथासंशोधित पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 7 के अनुसार निर्दिष्ट योग्यता और अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है; क्या आरए के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के समय दिए गए अंतिम वार्षिक प्रमाण पत्र या विवरण प्रस्तुत करने के बाद से पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम 7 के संबंध में कोई बदलाव है। क्या आरए ने पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) में निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है; क्या औरए ने पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) में निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है; क्या सेवानिवृत्ति सलाहकार ने विनियम 15, परिपत्र और/या विनियम में संशोधित निर्दिष्ट शुल्क लिया है; क्या सेवानिवृत्ति सलाहकार ने पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के विनियम में संशोधित निर्दिष्ट शुल्क लिया है;			

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और निदेशक/भागीदार/अनुपालन अधिकारी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त रिपोर्ट, हमारी टिप्पणियों के अधीन, सही

और सही है। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित (मुहर और हस्ताक्षर) चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम: सदस्यता सं. / सीओपी नं.: फर्म का नाम (यदि लागू हो): फर्म पंजीकरण संख्याः स्थान: दिनांक : अनुपालन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है (मुहर और हस्ताक्षर) अनुपालन अधिकारी का नाम: पता: मोबाइलः ईमेल पता: स्थान: दिनांक :



भाग v - मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र.सं	परिपत्र सं. (एक्सेस के लिंक के साथ)	जारी करने	विषय
		की तिथि	
1.	<u>पीएफआरडीए/2016/14/कॉर्प/02</u>	28/06/2016	सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा: राष्ट्रीय
			प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) का
			प्रत्यायन
2	<u>पीएफआरडीए/2018/39/आरए</u>	09/01/2018	पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (चौथा
			संशोधन) विनियम, 2017 की अधिसूचना के
			बाद आरए के लिए आवेदन शुल्क, पंजीकरण
			शुल्क, ऑनबोर्डिंग शुल्क और सुरक्षा जमा की
			आवश्यकता में संशोधन [सुरक्षा जमा और पुराने
			प्रभार संरचना के संबंध में आंशिक रूप से रद्द
			कर दिया गया]
3.	पीएफआरडीए/16/13/15/0011/2017-	21/08/2017	सेवानिवृत्ति सलाहकारों द्वारा पालन की जाने
	<u>आरए</u>		वाली परिचालन गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश
			[बिंदु बी में उल्लिखित रिपोर्टों और खुलासों के
			संबंध में आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया।
4	पीएफआरडीए/36/आरएंडएस/आरए/4	22/09/2016	पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार)
			विनियम, 2016 के विनियम 15 के तहत
			सलाहकार शुल्क का परिचय
			[पुरानी सलाहकार शुल्क के संबंध में रद्द कर
			दिया गया]
